Research Guru
Online Journal of Multidisciplinary Subjects (ISSN : 2349-266X)
UGC Approved Journal No. 63726
Impact Factor:4.081
Volume-12, Issue-4, March-2019 www.researchguru.net

राष्ट्रीयकृत बैंकों में राजभाषा हिंदी का स्वरूप

पीएच.डी. शोधार्थी, सुरतनभाई मानसिंगभाई वसावा, हिंदी विभाग गूजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद
ई-मेल- Surtan.vasava83@gmail.com मो.नं. 9712242484

सारांश -

देश की आज़ादी के पश्चात 14 सितबंर, 1949 को संविधान सभा ने, बहुमत के निर्णय के आधार पर हिंदी को भारत संघ के केंद्रीय सरकार को कार्यालयों में यानि केंद्र सरकार उपक्रमों के कार्यालयों में राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा को स्वीकार लिया और यह व्यवस्था की कि राजभाषा अर्थात हिंदी लिपि देवनागरी रहेगी ओर इसी के साथ यह व्यवस्था भी की गई की दिनांक 26 जनवरी, 1950 से संपूर्ण देश के केंद्रीय सरकार के कार्यालयों की राजभाषा हिंदी हो जाएगी। पर स्थिति कुछ और विपरीत बन गई है। राष्ट्रीयकृत बैंकों में राजभाषा हिंदी का प्रभाव पूर्णत: संतोषप्रद रहा है। राजभाषा हिंदी को केंद्र सरकार की राजभाषा भी कहा जाता है। राष्ट्रीयकृत बैंक एक प्रकार से सरकारी उपक्रम का भाग होने के कारण सारा कार्यान्वयन राजभाषा हिंदी में करना आवश्यक हो गया है। राष्ट्रीकृत बैंकों में आज पूर्णत: 90 प्रतिशत हिंदी में कार्यान्वयन हो रहा है। राष्ट्रीयकृत बैंकों में हिंदी का विकास संविधान स्थिति के अनुरूप होना आवश्यक हैं। भारतीय संविधान में राजभाषा में कार्यान्वय एवं उनकी व्यवस्था में हिंदी भाषा का विकास करने का प्रयास किया गया है। मैंने अपने शोध लेख में में राजभाषा हिंदी का राष्ट्रीयकृत बैंकों में उनका कार्यान्वयन एवं संविधान प्रावधान के बारें में उल्लेख किया गया हैं। राजबाषा के बारे में अनेक विद्वानों के मत के बारें में विचार विमर्श किया गया है।

शब्द कूंची - राष्ट्रीयकृत बैंकों में राजभाषा हिंदी, बैंकिंग प्रणाली, संविधानिक प्रावधान, संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान, राजभाषा आयोग का गठन, संसदीय राजभाषा समिति

प्रस्तावना -

प्रशासन की भाषा राजभाषा कहलाती है। सरकारी कार्यालयों में जिस भाषा का प्रयोग होता है तथा राज्य सरकारें जिस भाषा में अपने पत्र आदि केंद्र सरकार को तथा केंद्रीय प्रशासन अपने संदेश राज्य सरकारों को संप्रेषित करता है, वह राजभाषा कही जाती है। हमारे देश में हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी किया जाता है। हिंदी के साथ-साथ अग्रेजी भी सह राज भाषा के रूप में संविधान द्वारा स्वीकृत है। "अंग्रेजी भाषा में राजभाषा को OFFICIAL LANGUAGE कहा जाता है।" केंद्र सरकार की राजभाषा को 'संघभाषा' भी कहा जाता है। सरकारी आदेश, आज्ञाएँ, विज्ञापन, पत्र-व्यवहार आदि इसी

भाषा में प्रसारित होते हैं। प्रदेशों की शासनात्मक एकता की स्थापना भी उनकी अपनी राजभाषा द्वारा होती है। प्रशासन तथा न्याय की भाषा होने के कारण सरकारी दृष्टि से राजभाषा का अधिक महत्व है। इस भाषा का प्रयोग सामान्यत: शासन, विधान, न्यायपालिका और विधान पालिका आदि में होता है। प्रशासन की भाषा होने के कारण कुछ लोग इसे सरकारी भाषा भी कहते हैं।

बैंक और भाषा का बहुत गहरा संबंध है। बैंक लोगों तक पहुँच रहे हैं इसलिए लोगों की भाषा में ही उनकी सार्थकता बढ़ जाती है। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। इतना ही नहीं, हिंदी हमारे देश की सबसे अधिक बोली जाने वाली एक ऐसी भाषा है जो विभिन्न भाषाभाषी लोगों को आपस में जोड़ने की क्षमता रखती है अर्थात् हिंदी इस देश की एकमेव सम्पर्क भाषा है। विज्ञापन की दुनिया हिंदी के माध्यम से ही सारे देश में अपना अस्तित्व बनाए हुए है। हिंदी व्यापार की भाषा है। बैंक और व्यापार का निकट संबंध है, इसलिए यह कहना अतिश्योक्ति नहीं है कि बैंक की भाषा, हिंदी और भारतीय भाषाएँ ही हैं।

बैंकिंग प्रणाली का प्रारंभ मूलत: फ्रांस में हुआ। पश्चिमी देशों से होती हुई यह प्रणाली अंग्रेजी के माध्यम से इस देश में आई लेकिन राष्ट्रीयकरण के बाद हमारे देश में बैंकों की भूमिका में बदलाव आया और सामान्य लोगों तक बैंक पहुँचने लगे। भारत सरकार की राजभाषा नीति भी बैंकों पर लागू हुई: साथ ही, बैंकों द्वारा यह अनुभव भी किया कि जनता तक पहुँचने के लिए जनता के लिए जनता की भाषा अधिक प्रभावशाली होगी।

"हिंदी अब राष्ट्रभाषा एवं सम्पर्क भाषा ही नहीं, भारत की राजभाषा भी है। राजभाषा राष्ट्र की आर्थिक प्रगति, राजनीतिक एकता तथा प्रशासनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होती है। यह सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होकर जनता और शासन के बीच सम्पर्क की समसामयिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखकर भारतीय संविधान ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया और सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को संवैधानिक स्वीकृति दी गई।"

संवैधानिक प्रावधान :

किसी भी बोली या उपभाषा या भाषा का राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन होने का भी अपना इतिहास होता है। स्वाधीनता संग्राम में हिंदी भाषा की भूमिका बड़े ही महत्व की रही है। राष्ट्रीय नेताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी की आवश्यकता महसूस की थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, पं. मदन मोहन मालवीय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, सेठ गोविद दास, काका कालेलकर आदि का हिंदी को राष्ट्रीय स्तर पर महिमा एवं गरिमा प्रदान करने में विशिष्ट योगदान रहा है।

यहाँ हिंदी भाषा के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत संविधान सभा में राजभाषा के प्रश्न पर चर्चा, संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान, राजभाषा आयोग का गठन, संसदीय राजभाषा समिति, राष्ट्रपति का 1960 का आदेश, राजभाषा अधिनियम, 1963, संशोधित राजभाषा अधिनियम,1967, राजभाषा नियम,1976 तथा इनके प्रकाश में हुए राजभाषा हिंदी के विकास पर प्रकाश डालने की कोशिश की गई है।

15 अगस्त, 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। इसके पूर्व जुलाई, 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था जिसकी 9 दिसंबर से 11 दिसंबर, 1946 की बैठकों में डॉ. राजेंद्र प्रसाद सर्वसम्मति से संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष मनोनीत किए गए। संविधान सभा के समक्ष अनेक समस्याएँ थीं जिनमें से राजभाषा संबंधी समस्या भी एक थी। भारत की भाषाओं और बोलियों के वैविध्य और बाहुल्य में से भारत के संविधान निर्माताओं को एक ऐसी भाषा को संघ की राजभाषा हेतु चुनना था, जो समस्त भारतवासियों को मान्य हो सके तथा भारत की समस्त भाषाओं का समुचित प्रतिनिधित्व भी कर सके।

"देश के स्वतंत्र होने के बाद आजाद देश की स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए सर्वमान्य भाषा की तलाश हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री थे - पण्डित जवाहर लाल नेहरू। पण्डित नेहरू का औपनिवेशिक गठन भारतीय भाषाओं को हिकारत की दृष्टि से देखता था। उनके प्रधानमंत्रित्व काल में ही हिंदी दुर्भाग्य के पृष्ठ फड़फड़ाना शुरू हुए। इस देश की धूल-धूप, माँटी-पानी में सदियों से पली-बढ़ी हिंदी ने इस दौर में तमाम तरह के ताप और दबाव झेले। संघ की भाषा के लिए विभिन्न भाषाओं के नाम, लिपि, अंकों के प्रयोग और समय आदि को लेकर काफी जद्दोजहद और कशमकश हुई। राजभाषा के सवाल पर संविधान सभा में 12 सितम्बर, 1949 से 14 सितम्बर, 1949 तक चर्चा हुई" संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने भारत के सभी प्रांतों का प्रतिनिधित्व करनेवालों और विषय के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधियों को विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। भारत में भाषा के वैविध्य के कारण ही भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएँ सम्मिलित की गईं। पंद्रहवीं भाषा के रूप में सिंधी को 29 वे संशोधन विधेयक द्वारा संविधान में शामिल किया गया। विगत वर्षो में संविधान में अनेकानेक संशोधन किए गए हैं तथा अष्टम अनुसूची में 18 भाषाएँ शामिल हैं : असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगला, मराठी, मलयालम, मणिपुरी, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। बोड़ो, संथाली, मैथिली और डोगरी को हाल ही में इसमें शामिल किया गया है। अत: कुल संख्या 22 हो गई है।

संविधान सभा में जब भाषा के प्रश्न पर बहसें हो रही थीं, उस समय, 13 सितंबर, 1949 को दैनिक पत्र 'हिंदू' ने लिखा कि "भाषा के प्रश्न पर बहस करने के लिए जब

सभा में बैठक हुई, सभा में उपस्थित सदस्यों की संख्या अभूतपूर्व थी।" यह चर्चा बहुत आसान नहीं थी क्योंकि संघ की भाषा के लिए अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, हिंदुस्तानी तथा हिंदी आदि भाषाओं ने अपने-अपने दावे प्रस्तुत किए।

प्रस्तुत संदर्भ में, संविधान सभा में हिंदी के पक्ष एवं विपक्ष में दी गई दलीलों पर प्रकाश डालना सर्वथा समीचीन होगा। अंग्रेजी के पक्षधर एन. गोपाल स्वामी आयंगर, नजरुद्दीन अहमद, एंग्लो इंडियन नेता फ्रेंक एंथनी आदि थे। इनमें एन. गोपाल स्वामी आयंगर का भाषा प्रस्ताव मसौदा तैयार करने में हाथ था। अंग्रेजी का पक्ष लेते हुए उन्होंने कहा कि "इस भाषा द्वारा हमनें अपनी स्वाधीनता प्राप्त की है और इस पर अपनी आज़ादी की इमारत खड़ी की है।"[3] नजरुद्दीन अहमद ने अंग्रेजी को संसार की भाषा बताते हुए राजभाषा बनाने की अपील की थी। साथ ही, यह भी कहा कि- "अंग्रेजी को अनिवार्य भाषा बनाया जाए। यह अनिवार्यता भले ही अरुचिकर हो, पर यह अपरिहार्य है।" अंग्रेजी के विषय में नकारात्मक दृष्टिकोण त्यागने के विषय में चर्चा करते हुए एंग्लो-इंडियन नेता फ्रेक एंथनी ने कहा कि "देशवासियों ने पिछले दो सौ वर्षों में अंग्रेजी भाषा का जो ज्ञान प्राप्त किया है, वह आंतर्राष्ट्रीय कार्यों के लिए भारत की महान निधि है।" डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जहाँ एक और संघ की राजभाषा के लिए हिंदी की सिफारिश की, वहीं दूसरी ओर उन्होंने देश के राष्ट्रीय जीवन के लिए अंग्रेजी की आवश्यकता को न्यायसंगत ठहराया। उन्होंने जोर देकर कहा कि "इस भाषा के कारण ही हमें अनेक उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त देश के राजनीतिक संगठन और स्वतंत्रता प्राप्ति में अंग्रेजी का बहुत बड़ा हाथ है। इसके माध्यम से संसार के अनेक भागों की संस्कृति के द्वार हमारे लिए खुल गए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्राप्ति हमें अंग्रेजी से हुई। यह अंग्रेजी की जानकारी के बिना मुश्किल थी।"

तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में भी अंग्रेजी की वकालत का स्वर मुखरित होता है। उनका कहना था कि "हमें अपनी भाषा का प्रयोग करना चाहिए परंतु अंग्रेजी भी भारत की एक महत्वपूर्ण भाषा बनी रहनी चाहिए। क्यों ? जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए, उस समय की अपेक्षा संसार में अंग्रेजी का महत्व आज कहीं अधिक है। निस्संदेह, अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के निकट है।"

कुछ सदस्यों ने अंग्रेजी के समर्थकों के कथनों का विरोध किया। आयंगर के कथनों का विरोध करते हुए आर.पी. धुलेकर ने कहा कि, "केवल उन्हीं लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया जिन्होंने अंग्रेजी को भुला दिया तथा जिनकी अंग्रेजी के प्रति आस्था नहीं थी और जो यह समझते थे कि अंग्रेजी भाषा एक ऐसी विषैली वस्तु है जो इस देश का

नाश कर देगी।" लक्ष्मीनारायण साहू ने "अंग्रेजी के समर्थकों की तुलना उस शराबी से की जो यह सोचता है कि नशाबंदी से उसकी मृत्यु हो जाएगी।" अलगूताम शास्त्री ने अंग्रेजी का विरोध करते हुए कहा कि "भारतवासियों ने अंग्रेजी अपनी मर्जी से थोड़ी ही साखी थी। ब्रिटिश शासन को सस्ते क्लर्क उपलब्ध कराने के प्रयोजन से तैयार की गई योजना के अधीन देशवासियों को यह भाषा मजबूरी में सीखनी पड़ी।" उन्होंने यह भी कहा कि "यह भाषा देश के किसी भी भाग के लोगों की भाषा नहीं है।"

निष्कर्ष -

अतः उपर्युक्त विवरण के आधार पर हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि भारत सरकार के सरकारी प्रशासन के उपक्रमों के रूप में देखे तो भारत सरकार के सरकारी बैंकों में आज भी भारत सरकार की राजभाषा में कार्यान्वयन हो रहा है। आज सरकारी कार्यालयों में यानि के सरकारी बैंकों में राजकाज की भाषा के रूप में भारतीय संविधान की अष्ठम आनुसूची के प्रावधान के रूप में राजभाषा हिंदी में कार्यान्वय करना आवश्यक है। प्रारंभ में सरकारी बैंकों में या कार्यालयों में अंग्रेजी भाषा ने अपना अस्तित्व इस ढंग का बनाया हुआ था लेकिन आज अधिकांश रूप में भारत सरकार के सुझाव के अनुसार भारत सरकार की सरकारी बैंकों में राजभाषा हिंदी में अधिकांश रूप में कार्य कार्यरत हो गया हैं। हालाँकि स्वतंत्रता मिलने के पश्चात् बहुसंख्यकों की भाषा के नाम पर हिंदी को भारत की राजभाषा, राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए 26 जनवरी, 1948 को ही संवैधानिक स्वीकृति मिल गई थी। यह संवैधानिक स्थिति भारतीय संविधान के अतर्गत भाग-17, राजकीय भाषा विधेयक - 4 अध्यायों में रखी गई और यह स्वीकार किया गया कि प्रस्तुत संविधान 26 संविधान का भाग-17 पूर्णतया राजभाषा के लिए समर्पित है। अनुच्छेद 351 यह निर्देश देता है कि "हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार किया जाना चाहिए। संविधान में कुल 10 अनुसूचियाँ ही।" अतः संविधान सभा ने 14 सितंबर, 1949 को देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। 26 नवंबर, 1949 को संविधानसभा ने भारतीय संविधान को अंतिम रूप दिया तथा 26 जनवरी, 1950 से यह संविधान भारत में लागू हो गया। इस तरह राष्ट्रीय धरातल पर पहली बार राजभाषा के रूप में हिंदी को संवैधानिक मान्यता मिली एवं यहीं से राजभाषा हिंदी के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य का विकासकाल आरंभ हुआ। भारतीय संविधान ने भारत सरकार की सरकारी उपक्रमों में कामकाज की भाषा के रूप में आज राष्ट्रीयकृत बैंकों में हिंदी में कार्यान्वयन विकास की रेखाएँ हैं देखने को मिलती हैं और आज राष्ट्रीयकृत बैंकों में राजभाषा हिंदी में कार्यान्वयन 90 प्रतिशत काम हो है। आज अधिकांश रूप में राष्ट्रीयकृत बैंकों में कार्यरत कार्मिकों को अपने कार्यालय में कार्यरत समयावधि के दौरान राजभाषा हिंदी के आवश्यक प्रावधान के रूप में हिंदी भाषा में टंकण,

अनुवाद आदि अनेक आवश्यक पद्धतियों का ज्ञान दिया जाता है। उसी प्रकार राजभाषा हिंदी की विकास रेखा अपने पथ पर प्रगति पर है।

संदर्भ ग्रंथ

1. पांण्डेय, कैलाश नाथ, प्रयोजनमूलक हिंदी की नयी भूमिका, लोकभारती प्रकाशन, दरबारी बिल्डिंग, इलाहाबाद – 1, संस्करण, 2007
2. नागलक्ष्मी, सु., प्रयोजनमूलक हिंदी प्रांसगिकता एवं परिदृश्य, प्रकाशक, कुंजबिहारी पचौरी, जवाहर पुस्तकालय, मथुरा (उ,प्र.), संस्करण, 2003
3. काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका, वाराणसी, संस्करण, 2004
4. सिंह, राम गोपाल, प्रयोजनमूलक हिंदी, पार्श्वपब्लिकेशन, अहमदाबाद, संस्करण, 2005
5. गौडा, नामदेव. एम., बैंकिंग में प्रयोजनमूलक हिंदी, प्रकाशन संस्थान, अंसारी रोड, दरियागंज, दिल्ली, संस्करण, 2014